जिलाधिकारी शिविर कार्यालय, कानपुर नगर।

पत्रांक 2589/एस0टी0/2021

दिनांक: 16, 04, 2021

आदेश

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 709/2021-सीएक्स-3 दिनांक 16.04.2021 द्वारा दिनांक 17/04/2021 (शनिवार) की रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 19/04/2021 (सोमवार) की प्रातः 07:00 बजे तक (35 घंटे) कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने तथा इस दौरान नगर निगम/नगर पालिका पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देश के क्रम में इस कार्यालय से निर्गत आदेश संख्या- 4437/एस0टी0/2021 दिनांक 16/04/2021 में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद कानपुर नगर में **दिनांक 17/04/2021 (शनिवार) की रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 19/04/2021 (सोमवार) की प्रातः 07:00 बजे तक (35 घंटे) कोरोना कर्फ्यू लगाया जाता है।** उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर नगर एवं समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद में स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग आदि कराया जाना सुनिश्चित करे।

(आलोक तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- अपर मुख्य सचिव, गृह गोपन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3- आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।
4- पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त आदेश के प्रभावी प्रर्वतन हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
5- पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त आदेश के प्रभावी प्रर्वतन हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
8- समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
9- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
10-नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।
11-एडिशनल कमिशनर, ग्रेड-1 जी0एस0टी0 कानपुर नगर।
12-जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।
13-जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर नगर।
14-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, कानपुर नगर
15-उप निदेशक, सूचना कानपुर नगर को उपरोक्त आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

16/04

(आलोक तिवारी)
जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।